मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् १९९७.

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन अधिनियम, १९९७.

[दिनांक 29 मार्च, 1997 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 5 अप्रैल, 1997 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन अधिनियम, १९९७ है.

धारा ४ का लोप.

२. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९ (क्रमांक १४ सन् १९७९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ का लोप किया जाए.

धारा ५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में शब्द "प्राधिकृत" का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा ४ के अधीन प्राधिकृत किये गये प्रत्येक जांच प्राधिकारी (जो कि इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत जांच प्राधिकारी" के नाम से निर्दिष्ट है) के स्थान पर शब्द "प्रत्येक जांच प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं";

(तीन) उपधारा (२), (३) तथा (४) में जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकृत" आया हो वहां उस शब्द का लोप किया जाए.

धारा ६ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द "प्राधिकृत" का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 1997

क्र. 3439-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन अधिनियम 1997 (क्रमांक 16 सन् 1997) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 OF 1997

THE MADHYA PRADESH VIBHAGIYA JANCH (SAKSHIYON KA HAZIR KARAYA JANA TATHA DASTAVEJON KA PESH KARAYA JANA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 1997.

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 1997; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 5th April, 1997].

An Act to amend the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 1997.

Omission of Section 4.

2. Section 4 of the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979 (No. 14 of 1979) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall be omitted.

Amendment of Section 5.

3. In Section 5 of the Principal Act,—

(i) in the marginal heading the word "authorised" shall be omitted;

(ii) in sub-section (1), for the words, figure and brackets "Every inquiring authority authorised under Section 4 (hereinafter referred to as the "authorised inquiring authority)" the words "Every inquiring authority" shall be substituted;

(iii) in sub-sections (2), (3) and (4), the words "authorised" wherever it occur shall be omitted.

Amendment of Section 6.

4. In Section 6 of the Principal Act, the word "authorised" shall be omitted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1997.